

23/12/25

पत्राव पेश हुई। वादी वकील उपरोक्त वादी वकील द्वारा वाद पत्र को नोट-प्रेस करने हेतु अंडरटेकिंग दी गई। पत्रा को अग्रे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः पत्रा नोट-प्रेस के आधार पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रा फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।